



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57084

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8340 वर्ष 2026**

राजू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| आवेदक के अधिवक्ता      | : अमित कुमार तिवारी, नीरज कुमार द्विवेदी |
| प्रतिपक्षी के अधिवक्ता | : जी.ए.                                  |

**न्यायालय संख्या - 68**

**माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव**

आवेदक के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित श्री विजेन्द्र कुमार एवं ए.जी.ए. को सुना गया तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 28 वर्ष 2026, धारा 8/18 नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985, थाना अलीगंज, जनपद बरेली में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से 490 ग्राम अफीम की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वस्तुतः आवेदक से कोई

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



वास्तविक बरामदगी नहीं हुई है। यह भी निवेदन किया गया है कि कथित बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, अतः आवेदक को मिथ्या रूप से फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8, 9 एवं 10 के प्रावधानों का कठोर अनुपालन नहीं किया गया है तथा रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न हेतु इस प्रकरण में फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 09.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः वह जमानत का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि आवेदक की निर्दोषता का परीक्षण विचारण से पूर्व नहीं किया जा सकता, जबकि वह अवैध मादक पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि जमानत पर रिहा होने पर वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत नियम है तथा कारावास अपवाद। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजस्थान राज्य बनाम बलचन्द @ बलिया (1977) 4 एस.सी.सी. 308** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जमानत से इंकार करना व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है, पर प्रतिबंध है। निर्णय के पैरा 2 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "मूल सिद्धांत यह है कि जमानत दी जाए, न कि कारावास, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ न्याय से पलायन, न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने अथवा अपराध

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



की पुनरावृत्ति या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो।" तथापि, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि, **गुडिकांति नरसिम्हलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 429** में निहित सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, संभावित दण्ड की गंभीरता, अभियुक्त के चरित्र, विशेष परिस्थितियों, विचारण में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होने की संभावना, साक्षियों के प्रभावित होने की आशंका तथा राज्य/सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अतः, बिना वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए, आदेशित किया जाता है कि **अभियुक्त-आवेदक राजू को उपर्युक्त मुकदमा अपराध** में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ **जमानत पर रिहा किया जाए :-**

1. आवेदक अन्वेषण अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को धमकाकर या दबाव डालकर प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक विचारण की कार्यवाही में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा तथा किसी प्रकार का अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध नहीं करेगा।

**"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"**



उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

दिनांक : 19 मार्च, 2026

विभा सिंह

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*